भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *407

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

भूजल में विषाक्त पदार्थ

***407. श्री गिरीश चन्द्र:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर उत्तर प्रदेश में भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे विषाक्त पदार्थों के पाए जाने तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भूजल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) स्वच्छ एवं सुरक्षित भूजल संसाधनों का पता लगाने हेतु केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे आर्सेनिक-संदूषित जल के लंबे समय तक उपयोग किए जाने संबंधी समस्याओं से निपटा जा सके जिसके परिणामस्वरूप पहले किसी को डरमैटोसिस, किराटोसिस, कंजक्टिवाइटिस, ब्रॉनकाइटिस, गैस्ट्रो-एंट्रिटिस की व्याधियों होती हैं और उसके बाद पेरिफिरल न्यूरोपैथीज, हेपैटोपैथी, मेलानोसिस डी-पिगमेंटेशन इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

"भूजल में विषाक्त पदार्थ' के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *407 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देशभर में भूजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर वार्षिक भूजल गुणवत्ता डाटा तैयार करता है। इस मॉनीटरिंग में उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ भागों के अलग अलग पॉकेटों में मानव उपयोग के लिए बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) अनुमत्य सीमाओं से अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन और हैवी मैटल पाया गया है। इस संबंध में विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अनुमत्य सीमा से अधिक आर्सेनिक का सेवन करने से आर्सेनिकोसिस अर्थात ब्लैक-ब्राउन स्किन पिगमेंटेशन का विकास (मेलानोसिस), हथेली और तलवों का सख्त होना (केराटोसिस), त्वचा कैंसर आदि हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सीमा से अधिक फ्लोराइड का सेवन करने से अनेमिया सहित डेंटल फ्लोरिसिस, स्केलेटल फ्लोरिसिस और नॉन फ्लोरिसिस आदि हो सकता है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, देश में भूजल गुणवत्ता से संबंधित सुधारात्मक कार्रवाई करने सहित जल प्रबंधन संबंधी पहले करना मूलतः राज्यों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी)/पीसीसी) के सहयोग से जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कर रहा है।

भूजल संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों का बड़े पैमाने पर समाधान किया जा सकता है, यदि जनता को सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जाए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) का आरंभ किया, जिसे देश में 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित पेयजल प्रदान कराने के लिए अब जल जीवन मिशन (जेजेएम) में मिला दिया गया है। देश में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास को नल द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी जल जीवन मिशन का कार्यान्वित किया जा रहा है। जेजेएम के तहत, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित करते समय 10 प्रतिशत वेटेज पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित रसायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित विशिष्ट इलाकों में रह रही जनसंख्या को दी गई है। चूंकि, सुरक्षित जल स्रोत के आधार पर पाइप जलापूर्ति योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और उसे शुरू करने में समय लगने की संभावना है, विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी बस्तियों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूयूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है, ताकि पीने और खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर घर में 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पोर्टेलब पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

(ग): सीजीडब्ल्यूबी ने राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खोज समर्थित विस्तृत जलभृत मानचित्रण के माध्यम से चित्रित किए गए आर्सेनिक सुरक्षित गहरे जलभृत क्षेत्रों का दोहन करते हुए देश में अनेक अन्वेषण तथा प्रेक्षण कुंओं का निर्माण किया है। सफल कुएं उनके उपयोग के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराते समय सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वार्षिक आधार पर सृजित भूजल गुणवत्ता सूचना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी साझा किया जाता है ताकि उनके द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित गंगा समतल मैदानों में संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी साझा करते हुए राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है।

*****

अनुलग्नक-I

"भूजल में विषाक्त पदार्थ" के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *407 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

भारत में भूजल में विभिन्न संदूषकों के साथ आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लवणता (3000 माइक्रो एमएचओएस/सीएम से अधिक ईसी) (ईसीः विद्युतकीय)	फ्लोराइड (1.5 एमजी/ली से अधिक)	नाइट्रेट (45 एमजी/ली से अधिक)	आर्सेनिक (0.01 एमजी/ली से अधिक)	आयरन (1एमजी/ली से अधिक)	लैड (0.01 एमजी/ली से अधिक)	कैडमियम (0.003 एमजी/ली से अधिक)	क्रोमीयिम (0.05 एमजी/ली से अधिक)
1.	आंध्र प्रदेश	12	12	13	3	7			
2.	तेलंगाना	8	10	10	1	8	2	1	1
3.	असम		9		19	18			
4.	अरुणाचल प्रदेश					4			
5.	बिहार		13	10	22	19			
6.	छत्तीसगढ	1	19	12	1	17	1	1	1
7.	दिल्ली	7	7	8	2		3	1	4
8.	गोवा					2			
9.	गुजरात	21	22	24	12	10			
10.	हरियाणा	18	21	21	15	17	17	7	1
11.	हिमाचल प्रदेश			6	1				
12.	जम्मू और कश्मीर		2	6	3	9	3	1	
13.	झारखंड		12	11	2	6	1		
14.	कर्नाटक	29	30	29	2	22			
15.	केरल	4	5	11		14	2		1
16.	मध्य प्रदेश	18	43	51	8	41	16		
17.	महाराष्ट्र	25	17	30		20	19		
18.	मणिपुर		1		2	4			
19.	मेघालय		1			6			
20.	नागालैंड		1			1			
21.	ओडिशा	17	26	28	1	30			1
22.	पंजाब	10	19	21	10	9	6	8	10
23.	राजस्थान	30	33	33	1	33	3		
24.	तमिलनाडु	27	25	29	9	2	3	1	5
25.	त्रिपुरा					4			
26.	उत्तर प्रदेश	13	34	59	28	15	10	2	3
27.	उत्तराखंड			4		5			
28.	पश्चिम बंगाल	6	8	5	9	16	6	2	2
29.	अंडमान और निकोबार	1				2			
30.	दमन और द्वीप	1		1	1				
31.	पुदुच्चेरी			1					
	कुल	**18 राज्य/सं. रा.क्षे. में 248 जिलों के भाग**	**23 राज्य/सं. रा.क्षे. में 370 जिलों के भाग**	**23 राज्य/सं.रा. क्षे. में 423 जिलों के भाग**	**21राज्य/सं. रा.क्षे. में 152 जिलों के भाग**	**27 राज्य/सं.रा.क्षे. में 341 जिलों के भाग**	**14 राज्यों में 92 जिलों के भागों में पीबी**	**9 राज्यों में 24 जिलों के भागों में सीडी**	**10 राज्यों में 29 जिलों के भागों में सीआर**

***